


## बैठक कार्यवाही विवरण

माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 16.02.2016 में प्रदत्त निर्देश :-

1. महात्मा गांधी नरेगा की राशि का प्रभावी उपयोग करने के लिए निम्न योजनाओं का Package of Programmes के रूप में प्रस्ताव तैयार किया जाए:-
  - अ- ग्रामीण क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण में प्रस्ताव के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाए।
  - ब- ठोस कचरा प्रबंधन एवं कचरा से मिथेन गैस निर्माण की योजना।
  - स- सामूहिक कुंआ खुदाई योजना।
  - द- फूड गोडाउन एवं पी0डी0एस0 भवन निर्माण।
  - य- व्यक्तिगत लाभार्थियों हेतु कार्यों का योजना में वृक्षारोपण के माध्यम से दिये जा सकने वाले रोजगार की व्यवस्था एवं फल आदि पर अधिकार।
  - र- महात्मा गांधी नरेगा योजना में आवारा पशुओं एवं रोजडे की रोकथाम के लिए चारदीवारी की योजना बनायी जाए।
2. महात्मा गांधी नरेगा योजना में सूखा प्रभावित गांवों में अधिकाधिक कार्य चालू कराये जाए। इस वर्ष अधिकांश जिलों में सूखा/अकाल के कारण अधिकाधिक कार्य चालू किये जावे।
3. महात्मा गांधी नरेगा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त करने के लिए माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार को मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से लिखा जाये।
4. स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे कार्यों को क्षेत्र में भौतिक सत्यापन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, जिससे योजना का पूरा लाभ मिले सके।
5. विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया तृतीय पक्ष (थर्ड पार्टी) निरीक्षण के कार्य को अधिक प्रभावी बनाया जाए। थर्ड पार्टी निरीक्षण किये गये कार्यों के फोटोग्राफ आवास तथा अन्य सोफ्टवेयरों के साथ Geo Tagging के साथ अपलोड किये जाए, जिससे कि इसे ओर प्रभावी बनाया जा सके।
6. सीमान्त क्षेत्रीय विकास योजना में राशि 14 करोड़ से स्किल ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही बीएडीपी में बने भवन, जिनका उपयोग नहीं हो

रहा है उनकी पहचान कर आर.एस.एल.डी.सी को हस्तान्तरण किया जाए और उनका ट्रेनिंग सेन्टर के रूप में उपयोग किया जाए।

7. राजीविका योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए चलाये जा रहे साख दर्पण सॉफ्टवेयर को भामाशाह सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ा जाये।
8. गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना को ओर प्रभावी रूप से लागू किया जाए तथा योजना की मांग को देखते इस वर्ष एवं आगामी वर्ष में अतिरिक्त राशि का आवंटन किया जाए।
9. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में आगामी 3 वर्ष में मा0 विधायक उनके विधान सभा क्षेत्र में आने वाली 40-45 ग्राम पंचायतों में योजनाबद्ध विकास करे इस संबंध में व्यवस्था/प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए।
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजना में बी0एस0आर0 दर या टेण्डर प्रक्रिया से सामग्री कय की जानी है इस संबंध में विभाग स्पष्ट नीति बनाये। नीति बनाते समय महात्मा गांधी नरेगा एक्ट का ध्यान रखा जाए।
11. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत शेष रहे 11 मा0 विधायकों को मा0 मुख्यमंत्री महोदया की ओर से पत्र लिखवाया जाए।
12. मा0 मुख्यमंत्री महोदया को महात्मा गांधी नरेगा की समीक्षा के दौरान पदों को Desanction करने का प्रकरण ध्यान में लाया गया। इस पर मुख्यमंत्री महोदया ने उपरोक्त Desanction कार्यवाही को फिलहाल नहीं करने का निर्देश दिया।

  
(राजीव सिंह ठाकुर)  
शासन सचिव  
ग्रामीण विकास विभाग

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-8)

क्रमांक एफ 5 (26)ग्रावि/अनु.-8/सीएमआईएस/2014

जयपुर, दिनांक ५-३-१६.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, महानिदेशक, आईजीपीआरएस
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, स्टेट मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
9. निजी सचिव, निदेशक, मिड-डे-मील, जयपुर।
10. निजी सचिव, आयुक्त, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग।
11. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन-2), पंचायती राज विभाग।
12. निदेशक(सीसीडीयू), पंचायती राज विभाग।
13. संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग।
14. संयुक्त शासन सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।
15. परि. निदे. एवं उप सचिव, /एसएपी/महा0गांधी नरेगा/मो. एवं मू., ग्रामीण विकास विभाग।
16. परियोजना निदेशक, (LPs&SHGs) आजीविका।
17. परियोजना निदेशक, एम पावर/बायोफ्यूल/
18. वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण विकास/महानरेगा/पंचायती राज विभाग।
19. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास/महानरेगा (श्री योजना)।
20. संयुक्त निदेशक, मॉनिटरिंग, पंचायती राज विभाग।
21. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग।



परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव  
(एम एण्ड ई)